

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1982/पौष 7, 1904
No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 28, 1982/PAUSA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1982

आ. अ. 103(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 और निर्वाचन प्रतीक (अरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (घ) और उप-पैरा 2 और पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3 (3), 12 अप्रैल, 1982 में आ. अ. 29(अ) के रूप

में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित, इसकी तारीख 8 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना सं. 56/82 में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, मव सं. 1 आन्ध्र प्रदेश के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, "16. घंटा" प्रविष्टि रखी जाएगी।

उपरि-उद्धृत प्रविष्टि 15 दिसम्बर, 1982 से प्रभावी समझी जाएगी।

[सं. 56/82-7]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 1982

O. N. 103(E).—In exercise of the powers conferred by rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and clause (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following further amendments in its notification No. 56/82, dated the 8th April, 1982, published as O. N. 29 (E), in the gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3 (iii), dated the 12th April, 1982, as amended from time to time, namely :—

In Table 4 of the said notification, against item No. 1. Andhra Pradesh, under column 2, entry "16. Clock" shall be inserted.

The above-cited insertion shall be deemed to be effective with effect from 15 December, 1982.

[No. 56/82-VII]

By order,

K. GANESAN, Secy.